(1)

संख्या: 01 /स.का.क्रिया./2009

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल ।
2. समस्त जिलाधिकारी

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग देहरादून जनवरी 15,2008

विषय:– **सरकार जनता के द्वार ।**

महोदय,

विगत समय से यह देखने में आ रहा है कि अधिकारियें/कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण न किये जाने के कारण ग्रामीण जनता की समस्याओं का निराकरण समयान्तर्गत नही हो पा रहा है, जिसको लेकर कई बार जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामीण जनता को अपनी छोटी–छोटी ऐसी समस्यायें जिनका निराकरण विकासखण्ड स्तर पर ही किया जा सकता है, के समाधान के लिये जनपद मुख्यालय/मण्डल मुख्यालय/राजधानी के चक्कर काटने पड़ रहे हें । मुख्य मंत्री सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राप्त हो रही दैनिक शिकायतें भी इस तथ्य को परिलक्षित करती हैं कि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण नहीं किया जा रहा है ।

मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अपनी प्राथमिकताओं /चिन्हांकित कार्यक्रमों में "सरकार जनता के द्वार" कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आपसे अपेक्षा है कि ग्रामीण जनता की समस्याओं का निराकरण ग्राम्य स्तर पर ही सुनिश्चित कराया जाय जिससे कि प्रदेश की ग्रामीण जनता को अपनी छोटी–छोटी समस्याओं के लिये अनावश्यक श्रम व धन व्यय न करना पड़े । इस कार्यक्रम को सफल बनाये जाने के लिये निम्नांकित दिशा निर्देश निर्धारित किये गये हैं :–

1. राज्य के सभी जनपदों में राजस्व ग्रामों को दो वर्गो में वर्गीकृत करते हुए उनकी सूची एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी तैयार करायेंगे तथा इस सूची की एक प्रति सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं सचिव

कार्यक्रम कियान्वयन, उत्तराखण्ड शासन को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगीः–

1. ऐसे ग्राम जो मोटर मार्ग से जुडे हुए नहीं हैं ।
2. ऐसे ग्राम जो मोटर मार्ग से जुड़े हुए हैं ।

2. उपरोक्तानुसार सूची तैयार हो जाने पर सर्वप्रथम ऐसे ग्राम जो मोटर मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं, के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय अधिकारी/कर्मचारियों तथा राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों (परगना अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार) का भ्रमण कार्यक्रम तैयार करवाते हुए एक रोस्टर बनायेंगे । रोस्टर निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि सभी ग्रामों में अधिकारियों का भ्रमण सुनिश्चित हो जाय एवं किसी ग्राम का आवंटन एक ही माह में दो अधिकारियों को न होने पाये । प्रथम चरण के ग्रामों का भ्रमण कार्यक्रम तय हो जाने के उपरान्त मोटर मार्ग से जुड़े हुए ग्रामों के सम्बन्ध में भी रोस्टर तैयार करवाते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करवा ली जाय।

3. समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी(जिला अधिकारी सहित) माह में कम से कम एक बार जनपद के किसी न किसी राजस्व ग्राम का भ्रमण कर सम्बन्धित ग्राम में ही रात्रि विश्राम करेंगे ।

4. राजस्व विभाग के अधिकारियों में परगना अधिकारी माह में कम से कम दो ग्रामों में, तहसीलदार माह में कम से कम तीन ग्रामों में तथा नायब तहसीलदार माह में कम से कम चार ग्रामों का भ्रमण कर वहां रात्रि विश्राम करना सुनिश्चित करेंगे।

5. ग्राम के भ्रमण के दौरान सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं की समीक्षा सुनिश्चित करते हुए अपनी आख्या सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं कार्यक्रम कियान्वयन विभाग को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी :–

- ग्राम का भ्रमण एवं रात्रि निवास करने वाले अधिकारी द्वारा ग्राम में निर्मित/ निर्माणाधीन विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर इन योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया जायेगा ।
- अधिकारी अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न विभागों से सम्बन्धित ग्राम स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्राम का भ्रमण कर अपने दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है अथवा नहीं यदि नहीं, तो ऐसे

अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों की सूची जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी ।

- अधिकारी अपनी भ्रमण टिप्पणी में जिलाधिकारी को ग्राम की समस्याओं उनके निराकरण के सम्बन्ध में भ्रमण के दौरान किये गये प्रयासों आदि के सम्बन्ध में संक्षिप्त तथ्यात्मक टिप्पणी प्रेषित करेंगे । यदि अधिकारी के कोई सुझाव हो तो उनका समावेश भी इस टिप्पणी में किया जायेगा । इस टिप्पणी में ग्राम की समस्याओं के निराकरण के लिये ग्राम स्तरीय अधिकारियों द्वारा बरती गई सजगता/विफलता आदि के सम्बन्ध में भी प्रकाश अनिवार्य रूप से डाला जायेगा ।
- अधिकारी भ्रमण के दौरान यह भी जांच करेंगे कि क्या राजस्व विभाग द्वारा निर्विवाद उत्तराधिकार के मामलों में शत प्रतिशत अमल दरामद कर लिया गया है अथवा नहीं ?
- क्या ग्राम के सभी पात्र व्यक्तियों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं यथा बृद्धावस्था/विकलांग/विधवा पैंशन एवं अन्य योजनाओं का लाभ मिल गया है । यदि कोई व्यक्ति इस लाभ से वंचित रह गया है तो उसका क्या कारण है ?
- क्या ग्राम में सभी पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास/निर्बल वर्ग आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है ?
- क्या ग्राम/ग्रामसभा में उपलब्ध सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में खद्यान्न की आपूर्ति नियमित रूप से हो रही है तथा उसका लाभ समाज के बी.पी.एल. परिवारों को मिल रहा है अथवा नहीं ?
- क्या ग्राम में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, यदि हां तो पेयजल आपूर्ति की स्थिति ?
- ग्राम में उपलब्ध सिंचाई गूलों की स्थिति एवं इनके निर्माण की गुणवत्ता । क्या इन गूलों में पानी चल रहा है अथवा नहीं ?
- क्या ग्राम के लिये तैनात ए.एन.एम. नियमित रूप से ग्राम के भ्रमण पर आ रही है अथवा नहीं ?
- क्या ग्राम को मोटर मार्ग से जोड़े जाने का प्रस्ताव है यदि हां तो किस स्तर पर लम्बित है ।
- ग्राम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी । सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक/फार्मासिस्ट तैनात हैं अथवा नहीं?

चिकित्सालय में दवा की उपलब्धता । क्या चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी नियमित रूप से चिकित्सालय में आ रहे हैं ?

- ग्राम में उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या तथा कार्यरत अध्यापकों की संख्या । क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं यदि नहीं तो कब से? क्या छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती पर्याप्त है ?
- क्या छात्रवृत्ति की सुविधा का लाभ सभी पात्र छात्रों को मिल चुका है यदि नहीं तो कारण ?
- विद्यालय में अन्यत्र विद्यालयों से सम्बद्ध किये गये अध्यापकों की संख्या ।
- क्या ग्राम में रोग प्रतिरोधक टीकों का टीकाकरण किया जा चुका है यदि नहीं तो क्यों ?
- क्या ग्राम में रसोई गैस की सुविघा उपलब्ध है यदि है तो कितने परिवारों के पास कनेक्शन हैं ।
- ग्राम से जंगल की दूरी।
- क्या विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन नियमित रूप से छात्रों को उपलब्ध कराया जा रहा है?
- क्या बाल बिकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पुष्टाहार का वितरण समुचित रूप से किया जा रहा है अथवा नहीं?
- ग्राम में पाई गई समस्याओं के निराकरण के लिये स्थल पर किये गये प्रयासों /सुझावों का संक्षिप्त विवरण ।
- अन्य बिंदु यदि कोई हों।

6. सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रेषित भ्रमण आख्या में पाई गई समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी उत्तरदायी रहेंगे और वे इस टिप्पणी के प्राप्त होते ही अपने स्तर पर उनकी समीक्षा सुनिश्चित करवाते हुए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को समस्या के समयबद्ध निराकरण हेतु निर्देश जारी करेंगे । उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन भी कर लिया जाय । समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का आकस्मिक सत्यापन टास्क फोर्स के माध्यम से भी करवा लिया जाय ।

7. जनपद स्तर पर टास्क फोर्स के गठन के साथ–साथ मण्डल स्तर पर भी टास्क फोर्स का गठन करते हुए ग्रामों का आकस्मिक भ्रमण एवं योजनाओं का

सत्यापन इस टास्क फोर्स के माध्यम से करवाया जाय । मण्डल स्तर पर टास्क फोर्स के गठन हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त उत्तरदायी रहेंगे ।

8. समस्त जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त माह के प्रथम सप्ताह में अधिकारियों द्वारा जनपद में किये गये भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान पाई गई अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे । यदि समस्याओं का निराकरण उनके स्तर पर करवाया जाना संभव न हो तो समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में अपने सुझाव भी शासन के सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी एक प्रति कार्यक्रम कियान्वयन विभाग एवं सचिव माननीय मुख्य मंत्री जी को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जायेगी ।

9. यदि कोई अधिकारी किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण निर्धारित ग्राम का भ्रमण एवं वहां रात्रि विश्राम नहीं कर पा रहा हो तो वह इसकी सूचना जिलाधिकारी को देते हुए उनसे अनुमति प्राप्त करेगा ।

10. उपरोक्त बिन्दुओं पर मासिक सूचना प्रेषण हेतु निर्धारित तीन प्रपत्र संलग्न किये जा रहे हैं ।

यह ध्यान रखा जाय कि यह कार्यक्रम माननीय मुख्य मंत्री जी के चिन्हांकित कार्यक्रमों में है। अतः इस कार्यक्रम के कियान्वयन में बरती गई किसी भी शिथिलता को अत्यन्त गंभीरता से लिया जायेगा ।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
मुख्य सचिव

संख्याः /स.का.किया./2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

आज्ञा से,

15-1-09

(पी०के० सारंगी)
सचिव

प्रारूप –1

क्र.स.	जनपद का नाम	अधिकारी का नाम /पद नाम	भ्रमण किये गये ग्राम का नाम एवं विकासखण्ड	मोटर मार्ग से ग्राम की दूरी	ग्राम में निरीक्षित कुल योजनाओं की संख्या	योजनाओं की गुणवत्ता के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण के उपरान्त टिप्पणी	क्या ग्रामवासी योजना की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं? यदि नहीं तो उनकी मुख्य शिकायत क्या है ?	भ्रमण के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	भ्रमण के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	ऐसी शिकायत जिनको निराकरण हेतु जनपद को सन्दर्भित किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोटः– रात्रि विश्राम करने वाले अधिकारी द्वारा भरा जायेगा

प्रारूप –2

क्र.स.	जनपद का नाम	माह में भ्रमण किये गये कुल ग्रामों की संख्या	कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या	जनपद स्तर पर निस्तारित शिकायतों की संख्या	निस्तारण हेतु मण्डल स्तर/शासन को सन्दर्भित की गई शिकायतों की संख्या	गत माह में सन्दर्भित शिकायतों में से निस्तारित शिकायतों की संख्या	कुल लम्बित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

नोटः– सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के स्तर से

प्रारूप –3

क्र.स.	मण्डल का नाम	माह में भ्रमण किये गये कुल ग्रामों की संख्या	कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या	मण्डल स्तर पर निस्तारित शिकायतों की संख्या	निस्तारण हेतु शासन को सन्दर्भित की गई शिकायतों की संख्या	गत माह में सन्दर्भित शिकायतों में से निस्तारित शिकायतों की संख्या	कुल लम्बित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

नोटः– सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त के स्तर से